

विधि और न्याय मंत्रालय

सं 64 (विनियोग)

भारत का उच्चतम न्यायालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	98.37	98.37	...	95.22	95.22	...	112.75	112.75	...	111.75	111.75	
पूँजी	
जोड़	...	98.37	98.37	...	95.22	95.22	...	112.75	112.75	...	111.75	111.75	
न्याय प्रशासन													
1. भारत का उच्चतम न्यायालय	2014	...	98.37	98.37	...	95.22	95.22	...	112.75	112.75	...	111.75	111.75
कुल जोड़		...	98.37	98.37	...	95.22	95.22	...	112.75	112.75	...	111.75	111.75

1. यह विनियोजन भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक और अन्य व्यय का प्रावधान करता है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों, विभागीय कैंटीन सहित रजिस्ट्री के स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन और यात्रा व्यय, स्टेशनरी, कार्यालय उपकरणों, सुरक्षा उपकरणों, सीसीटीवी के रख-रखाव और उच्चतम न्यायालय की वार्षिक रिपोर्ट का मुद्रण सहित सुरक्षा के लिए तैनात कर्मियों के लिए व्यावसायिक सेवा प्रभार और स्थापना संबंधी जरूरतों पर व्यय का प्रावधान शामिल है।